



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mefca.nic.in

पत्र सं० 8वीं/यू०पी०/०८/२६३/२०२१/एफ०सी०/४०

दिनांक : 19.04.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, वापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Water/119894/2021

विषय: जनपद सोनमढ़ के कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवद्य ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना अन्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP पाईप लाईन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे० आरक्षित वनभूमि के बैरवानिकी प्रयोग एवं बाघक 55 वृक्षों के पतन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-501/81-2-2022-800(222)/2021, लखनऊ, दिनांक-03.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.12.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ माँगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सदभित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

- 1- Vide this office letter dated 21/12/2021, it was asked to clarify/rectify the CA land which was falling in Reserve Forest area. DFO Mirzapur, vide his letter dated 03/03/2022, informed that the proposed CA area is not forest land. instead it is Non-forest land. It is further requested to kindly rectify the boundaries of the Forest block in FSI records so that the same can be depicted in DSS analysis
- 2- Since proposed area falls within the Wildlife Sanctuary, thus status of Wildlife clearance needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉक), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रान्तीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर।
4. तकनीकी सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 राणा प्रताप मार्ग, यू०पी० जल निगम, लखनऊ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रवली।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3006 /11-सी-FP/UP/Water/119894/2021, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 21, 2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- तकनीकी सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 राणा प्रताप मार्ग, यू०पी० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।